संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.

विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष :0755-2550909, 2550910 फैक्स 0755-2550912

www.mpwcdmis.gov.in icpsbhopal@gmail.com

कमांक/म.स./24/1710 **भोपाल, दिनांक 19/1 /2024**

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015(संशोधन अधिनियम,2021) के प्रावधान अनुसार विधि का उल्लंधन करने वाले एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है। किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति की वर्तमान रिक्तियों हेतु निम्नानुसार जिलों के लिए अशासकीय व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्र0	संभाग	जिले का नाम	किशोर न्याय बोर्ड में रिक्तियों की संख्या	बाल कल्याण समिति में सदस्यों की रिक्तियों की संख्या
1	भोपाल	भोपाल	01 सदस्य पद(महिला)	01 पद(अध्यक्ष)
2		रायसेन	02 सदस्य पद(01 पद महिला हेतु)	
3		सीहोर	**01 सदस्य पद**	**01 अध्यक्ष एवं 02 सदस्य मिलाकर कुल 03 पद(जिसमें से एक महिला)**
4		विदिशा	**02 सदस्य पद(एक पद महिला हेतु)**	**01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य मिलाकर कुल 05 पद(जिसमें से एक महिला)**
5	ग्वालियर	ग्वालियर	02 सदस्य पद(01 पद महिला हेतु)	**01 अध्यक्ष एवं 02 सदस्य** कुल 03 पद(जिसमें से एक महिला)
6		गुना	02 सदस्य पद(01 पद महिला हेतु)	**04 सदस्य पद**
7		अशोकनगर	**02 सदस्य पद(एक पद महिला हेतु)**	—
8		दतिया	**02 सदस्य पद(एक पद महिला हेतु)**	01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य मिलाकर कुल 05 पद(जिसमें से एक महिला)
9	इन्दौर	इन्दौर	02 सदस्य पद(01 पद महिला हेतु)	**01 अध्यक्ष एवं 01 सदस्य** कुल 02 पद
10		खंडवा	01 सदस्य पद	**01 अध्यक्ष एवं 02 सदस्य** कुल 03 पद(जिसमें से एक महिला)
11		अलीराजपुर	01 सदस्य पद	**01 अध्यक्ष एवं 03 सदस्य** कुल 04 पद(जिसमें से एक महिला)
12		बड़वानी	**02 सदस्य पद(एक पद महिला हेतु)**	01 सदस्य पद (महिला)
13		बुरहानपुर	—	01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य मिलाकर कुल 05 पद(जिसमें से एक महिला)

निरंतर 2

क्र0	संभाग	जिले का नाम	किशोर न्याय बोर्ड में रिक्तियों की संख्या	बाल कल्याण समिति में सदस्यों की रिक्तियों की संख्या
14		धार	02 सदस्य पद(एक पद महिला हेतु)	04 सदस्य पद
15	जबलपुर	जबलपुर	02 सदस्य पद(01 पद महिला हेतु)	01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य कुल 05 पद (जिसमें से एक महिला)
16		नरसिंहपुर	02 सदस्य पद(01 पद महिला हेतु)	01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य कुल 05 पद (जिसमें से एक महिला)
17		छिन्दवाड़ा	01 सदस्य पद	01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य मिलाकर कुल 05 पद(जिसमें से एक महिला)
18		डिण्डोरी	—	01 अध्यक्ष एवं 03 सदस्य मिलाकर कुल 04 पद
19		सिवनी	02 सदस्य पद(एक पद महिला हेतु)	01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य मिलाकर कुल 05 पद(जिसमें से एक महिला)
20	नर्मदापुरम	बैतूल	02 सदस्य पद(एक पद महिला हेतु)	01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य मिलाकर कुल 05 पद(जिसमें से एक महिला)
21	रीवा	रीवा	02 सदस्य पद(01 पद महिला हेतु)	01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य कुल 05 पद (जिसमें से एक महिला)
22		सतना	02 सदस्य पद(एक पद महिला हेतु)	01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य मिलाकर कुल 05 पद(जिसमें से एक महिला)
23		सीधी	01 सदस्य पद	01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य मिलाकर कुल 05 पद(जिसमें से एक महिला)
24		सिंगरौली	01 सदस्य पद	—
25	सागर	पन्ना	02 सदस्य पद(01 पद महिला हेतु)	01 अध्यक्ष एवं 03 सदस्य कुल 04 पद (जिसमें से एक महिला)
26		छतरपुर	01 सदस्य पद(महिला)	01 अध्यक्ष एवं 03 सदस्य मिलाकर कुल 04 पद(जिसमें से एक महिला)
27		सागर	02 सदस्य पद(एक पद महिला हेतु)	01 अध्यक्ष एवं 03 सदस्य मिलाकर कुल 04 पद(जिसमें से एक महिला)
28		टीकमगढ़	02 सदस्य पद(एक पद महिला हेतु)	04 सदस्य पद
29	शहडोल	शहडोल	02 सदस्य पद(एक पद महिला हेतु)	01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य मिलाकर कुल 05 पद(जिसमें से एक महिला)

निरंतर....2

क्र0	संभाग	जिले का नाम	किशोर न्याय बोर्ड में रिक्तियों की संख्या	बाल कल्याण समिति में सदस्यों की रिक्तियों की संख्या
30	**शहडोल**	उमरिया	**02 सदस्य पद(एक पद महिला हेतु)**	**01 अध्यक्ष एवं 03 सदस्य मिलाकर कुल 04 पद**
31		अनूपपुर	**01 सदस्य पद(महिला)**	—
32	**उज्जैन**	आगर–मालवा	02 सदस्य पद(01 पद महिला हेतु)	01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य कुल 05 पद (जिसमें से एक महिला)
33		नीमच	02 सदस्य पद(01 पद महिला हेतु)	01 अध्यक्ष एवं 03 सदस्य कुल 04 पद
34		रतलाम	02 सदस्य पद(01 पद महिला हेतु)	01 अध्यक्ष पद
35		उज्जैन	**02 सदस्य पद(एक पद महिला हेतु)**	—
36		शाजापुर	**02 सदस्य पद(एक पद महिला हेतु)**	**01 अध्यक्ष एवं 03 सदस्य मिलाकर कुल 04 पद(जिसमें से एक महिला)**
37	**चम्बल**	मुरैना	—	01 अध्यक्ष एवं 03 सदस्य कुल 04 पद (जिसमें से एक महिला)
38		भिण्ड	**01 सदस्य पद**	**01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य मिलाकर कुल 05 पद(जिसमें से एक महिला)**
39		श्योपुर	—	**01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य मिलाकर कुल 05 पद(जिसमें से एक महिला)**

किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के पद हेतु अर्हताएं :–

(i) किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष और अधिकतम आयु पैंसठ वर्ष से अधिक नही होगी।

(ii) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु अनिवार्य अर्हताऐं –किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 07 वर्षो का अनुभव हो **अथवा** जो **बाल** मनोविज्ञान(child psychology) या मनोचिकित्सा (psychiatry) या समाज विज्ञान(sociology) या विधि क्षेत्र में (law) डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) हो।

(2) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए अर्हताएं –

(i) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष और अधिकतम आयु पैंसठ वर्ष होगी।

(ii) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु अनिवार्य अर्हताएं– बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री हो और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में **सात वर्ष से सक्रिय रूप से शामिल हो (actively involved)** अथवा जो मनोचिकित्सा (psychiatry) या समाज विज्ञान(sociology) या विधि क्षेत्र (law) या सामाजिक

निरंतर....2

कार्य(social work) या समाजशास्त्र(sociology) या मानव स्वास्थ्य (human health) या शिक्षा(education) या मानव विकास(human development) या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा (special education) में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) हो।

किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के पद हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास, विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल पिन 462011 में कार्यालीन समय में दिनांक **10 फरवरी 2024** जमा अथवा पंजीकृत डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये जा सकते है। ई–मेल अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को मान्य नही किया जायेगा। **आवेदन प्रारूप, पात्रता/ अपात्रता की शर्तें एवं अन्य निर्देश की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट <u>www.mpwcdmis.gov.in</u> के निर्देश मेन्यु में उपलब्ध है।**

आयुक्त
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015(सशोंधन, 2021) एवं किशोर न्याय आदर्श संशोधित नियम, 2022(मूल नियम, 2016) के प्रावधानों के तहत् जिलों में बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आवश्यक शर्ते एवं निर्देश।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015(सशोधन, 2021) एवं किशोर न्याय आदर्श संशोधित नियम, 2022(मूल नियम, 2016) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों के निराकरण हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। समिति पांच सदस्यीय (एक अध्यक्ष/04 सदस्य) होगी, जिसमें से एक पद महिला के लिए सुरक्षित है, समिति अधिनियम एवं नियमों में प्रदत्त शक्तियों व उत्तरदायित्व के तहत् जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेंगी। समिति में रिक्त पदों पूर्ति के लिए आवश्यक शर्ते, निर्देश एवं आवेदन प्रारूप निम्नानुसार हैः–

1/ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों के लिए अर्हताएं :–

(i) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष और अधिकतम पैंसठ वर्ष होगी।

(ii) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री हो और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात वर्ष से सक्रिय रूप से शामिल हो (actively involved) अथवा जो मनोचिकित्सा (psychiatry) या समाज विज्ञान(sociology) या विधि क्षेत्र (law) या सामाजिक कार्य(social work) या समाजशास्त्र(sociology) या मानव स्वास्थ्य (human health) या शिक्षा(education) या मानव विकास(human development) या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा (special education) में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) हो।

2/ बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल–

(i) समिति के अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष से अधिक नही होगा।

(ii) समिति का अध्यक्ष/ सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(iii) समिति के अध्यक्ष/ सदस्य की नियुक्ति दो लगातार कार्यकाल के लिए नही की जायेगी परंतु अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने वाले सदस्य के मामले में यह वर्जित नही होगा।

(iv) अध्यक्ष/सदस्य की आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर उसका बाल कल्याण समिति में कार्यकाल समाप्त हो जायेगा।

3/ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य पद के लिए अपात्रता–

i मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई रिकॉर्ड हों।

ii ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें में नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।

iii उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है।

iv वह कभी बाल दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन या अनैतिक कृत्य या मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा हैं।

v समिति में रहते हुये दो कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया हो अथवा समिति में सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल हो।

vi विदेश से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति समिति के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए पात्र नही होगा।

vii किसी गैर–सरकारी संगठन या किसी संगठन, जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करता हो जिनमें समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों का टकराव होता हो उसमें अधिनियम को लागू करने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, इसमें समिति के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित स्थितियों में से कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन इन्ही तक समिति नही है:

(क) परिवार का कोई सदस्य किसी गैर–सरकारी संगठन का सदस्य है**;**

(ख) घनिष्ठ संबंधी किसी गैर–सरकारी संगठन का सदस्य है**;**

(ग) गैर–सरकारी संगठनों या जिले में बचाव और पुनर्वास के लिए काम कर रहा व्यक्तियों के मामले में**;**

(घ) बाल देखरेख संस्थान चलाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति या किसी गैर–सरकारी संगठन के बोर्ड या ट्रस्ट का सदस्य।

4/ अन्य आवश्यक शर्तें/मापदण्ड–

i **समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को संलग्न फार्म 49 के अनुसार शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, आवेदन के साथ शपथ पत्र संलग्न नही होने पर आवेदन अमान्य माना जावेगा, जिस के लिए कोई वाद या दावा मान्य नही होगा।**

ii यह विज्ञप्ति शासकीय सेवा के लिए नहीं है।

iii समिति के अध्यक्ष/सदस्य को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान या भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

iv अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न हो।

v दिवालिया न हो।

vi चयन समिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी जिस के संबंध में कोई वाद मान्य नही होगा।

vii समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में चयनित होने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है प्रशिक्षण प्राप्त न करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

viii चयनित होने पर ज्वाईनिंग से पहले पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रारूप 49 में शपथ पत्र बाल संरक्षण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगी, तद्‌परांत ज्वाईनिंग ली जावेगी।

5/ **पद हेतु आवेदन प्रक्रिया–**

1. विभाग **की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र** में ही आवेदन स्वीकार किये जायेगें।
2. **किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की शैक्षणिक योग्यता, स्वरूप, अर्हता, अपात्रता की शर्ते आदि पृथक–पृथक होने से किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में मय दस्तावेज के पृथक–पृथक मान्य होंगे। यदि आवेदक द्वारा पद हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नही किया जाता है तो आवेदन निरस्त किया जायेगा जिसके संबंध में कोई वाद, दावा/आपत्ति मान्य नही होगी।**
3. यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले हेतु आवेदन दिया जाता है तो उसके लिए पृथक–पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए तथा समस्त दस्तावेज विधिवत संलग्न होना चाहिये। आवेदन पूर्ण/विधिवत नही होने पर निरस्त कर दिया जावेगा।
5. आवेदकों को साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।
6. विज्ञप्त पदों की समस्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अध्याधीन होगी।
7. आवेदन आयुक्त, महिला एवं बाल विकास संचालनालय विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल पिन 462011 में कार्यालीन समय में 10 फरवरी 2024 तक जमा अथवा पंजीकृत डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये जा सकते हैं। ई–मेल अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नही किया जायेगा।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अमिताभ अवस्थी)
संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

Only CWC

केवल बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य हेतु आवेदन पत्र

जिले का नाम जिसके लिए आवेदन किया है– ....

पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया है(✓) लगाये :

- केवल अध्यक्ष पद हेतु ☐
- केवल सदस्य पद हेतु ☐
- अध्यक्ष/सदस्य दोनो पद हेतु ☐

पासपोर्ट आकार का कलर फोटो चिपकाएं

1. पूरा नाम– ....

2. पिता/पति का नाम–...

3. जन्म तिथि(अंको एवं शब्दों में) –...(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

4. वर्तमान व्यवसाय...

5. यदि व्यवसायरत कृतिक है तो वर्तमान में कहाँ कार्य कर रहे है।(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

....

6. घर का पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में –...

....

....पिन कोर्ड....................

सम्पर्क नम्बर .... मोबाइल नम्बर ....ई–मेल ....

7. क्या आप किशोर न्याय बोर्ड /बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य, है/रहे है। यदि हां तो विवरण :–

क्र	बोर्ड/समिति का नाम	पद	जिला	कार्यकाल की अवधि
1				
2				
3				
4				
5				
6				

निरंतर......

8. (अ) शैक्षणिक योग्यता का विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)–

क्र	शैक्षणिक योग्यता	उत्तीर्ण का वर्ष	विषय	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1	12वी.			
2	स्नातक			
3	स्नातकोत्तर			
4	एम फिल/पी.एच.डी			
5	अन्य शैक्षणिक योग्यता			
6	कम्पयूटर का ज्ञान(डिग्री यदि हो तो)			

9. बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात वर्ष का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)–

क्र	क्षेत्र/संस्था/स्वतंत्र कार्य का नाम/विषय	अनुभव (दिनांक से दिनांक तक)	अनुभव के कुल वर्ष	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1				
2				
3				

10. यदि व्यवसायरत कृतिक है तो विवरण–

क्र	किस क्षेत्र में व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) है	वर्तमान में कहाँ कार्य कर रहे है।	अनुभव के कुल वर्ष	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1				
2				
3				
4				

11. पुलिस सत्यापन/आवेदक के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज है अथवा पूर्व में दोषसिद्ध हो तो उसका विवरण –

क्र	दर्ज प्रकरण	दोषसिद्ध/प्रचलित/दोषमुक्त
1		
2		

नोट : **कोई प्रकरण दर्ज न होने पर निरंक अंकित करे तथा यथासंभव पुलिस सत्यापन रिपोर्ट संलग्न करें।**

12 किसी एक पर टिक (✓)करें –मेरा आवेदन एवं संलग्न दस्तावेज आर.टी.आई में दिये जाने हेतु मैं सहमत ( )/असहमत( ) हूँ।

13. कृपया निम्न प्रमाण पत्र स्वंय प्रमाणित कर संलग्न करें।

a. जन्म तिथि प्रमाण पत्र (पासपोर्ट/हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री मार्कशीट/जन्म प्रमाण पत्र)।

b. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।

c. बालकों के क्षेत्र मे कार्य के समस्त अनुभव प्रमाण पत्र/पत्र।

d डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) होने का प्रमाण पत्र।

e निवास का प्रमाण। (आधार कार्ड/वोटर आईडी/पासपोर्ट/मूल निवासी प्रमाण पत्र)

f गृह/निवासरत जिले का पुलिस सत्यापन अथवा पुलिस को सत्यापन हेतु दिया आवेदन।

14. **शपथपत्र नोटरी पर :–**

(क) संलग्न फार्म 49 के अनुसार शपथ पत्र।

(ख) शपथ पत्र जिसमे निम्नलिखित प्रमाणिकरण आवश्यक है।

- मैं दिवालिया घोषित नही किया गया हूं।
- समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में चयनित होने पर मैं अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी राजनैतिक दल का पदाधिकारी नही रहूंगा।
- बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में चयनित होने पर अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा नही रहूंगा।
- मुझे किसी भी अपराधिक प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्व नही ठहराया गया है।
- मेरा मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड नही है।
- मुझे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी नही ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,
- मुझे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटाया या पदच्युत नही किया गया है।
- मैं कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त नही रहा हूं।

- मैं जिले में बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग नही हूं।
- मैं किसी ऐसे संगठन से नही जुड़ा हूं जिसे विदेश से सहायता प्राप्त होती है।
- मैं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के पद हेतु विज्ञप्ति में उल्लेखित अनर्हताऐं **नही रखता हूं।**
- यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है तो मैं दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा।
- **मेरे द्वारा पद के आवेदन के संबंध में दिये गये निर्देशों का भंलिभांति अध्ययन कर लिया है। यदि निर्देश में निर्धारित आवेदन प्रक्रिया का पालन नही किये जाने के कारण मेरा आवेदन अमान्य होता है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तदरायी रहूंगा/रहूंगी ।**
- मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सम्पूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र में संलग्न किये गये सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से सत्य और प्रमाणित है तथा मेरे द्वारा आवेदन में कोई तथ्य छुपाये नही गये है। आवेदन पत्र में दी गई किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी एवं छुपाये गये तथ्यों के लिये मै स्वयं उत्तरदायी रहॅूगा/रहॅूगी जिसके लिए मेरे उपर की गई कोई भी वैधानिक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रारूप 49

(नियम 15 (4क))

समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए शपथपत्र

मैं श्रीमती स्वाती पाण्डेय. पिता/पति श्री अनुराग पाण्डेय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिए आवेदन कर रहा/रही हूॅ। मैं यह सत्यापित करता/करती हूॅं कि अधिनियम की धारा 27(4क) में अधिकथित किसी भी शर्त के कारण वर्जित नहीं हूॅ।

1. मेरे ऊपर मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी पिछला रिकार्ड नहीं है।
2. मुझे नैतिक अधमता का दोषी नही ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराधों के मामले में पूर्ण क्षमा नहीं दी गई है।
3. मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार तथा भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उपक्रम से/सेवा से नहीं हटाया गया है।
4. मै कभी भी बाल अपराध या बाल श्रम नियोजन या अनैतिक कार्य या मानव अधिकारों या अनैतिक कायों के उल्लंघन में लिप्त नहीं पाया गया हॅू, या
5. मैं जिले मे बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग नहीं हॅू।

यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है तो मैं दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

दिनांक 23.09.2023
स्थान हरदा

(व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम और अन्य विशिष्टियां

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015(सशोधन, 2021) एवं किशोर न्याय आदर्श संशोधित नियम, 2022(मूल नियम, 2016) के प्रावधानों के तहत जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आवश्यक शर्ते एवं निर्देश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015(सशोधन, 2021) एवं किशोर न्याय आदर्श संशोधित नियम, 2022(मूल नियम, 2016) के प्रावधानों के तहत** ् प्रत्येक जिले में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड में सदस्य के दो पद है, जिसमें से एक पद महिला के लिए आरक्षित है, पदों की पूर्ति के लिए आवश्यक शर्ते, निर्देश एवं आवेदन प्रारूप निम्नानुसार हैः—

1/ किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के लिए अर्हताएं :—

(i) किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष और अधिकतम आयु पैंसठ वर्ष से अधिक नही होगी।

(ii) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 07 वर्षो का अनुभव हो अथवा जो बाल मनोविज्ञान(child psychology) या मनोचिकित्सा (psychiatry) या समाज विज्ञान(sociology) या विधि क्षेत्र में (law) डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) हो।

2/ किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल :—

(i) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष से अधिक नही होगा।

(ii) बोर्ड का सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

3. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य पद के लिए अपात्रता :—

i मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड हो।

ii ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।

iii उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है।

iv वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।

v बोर्ड में रहते हुये दो कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो ।

4/ अन्य आवश्यक शर्तें/मापदण्ड–

1. यह विज्ञप्ति शासकीय सेवा के लिए नहीं है।
2. बोर्ड के सदस्यों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान या भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
3. चयन समिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी जिस के संबंध में कोई वाद मान्य नही होगा।
4. अभ्यर्थी ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नही होना चाहिए, जो अधिनियम और नियमों के अनुसार बोर्ड के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो।
5. बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो।
6. अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न हो।
7. दिवालिया न हो।
8. बोर्ड में सदस्य के रूप में चयनित होने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है प्रशिक्षण प्राप्त न करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
9. चयनित होने पर ज्वाईनिंग से पहले पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट बाल संरक्षण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगी, तद्‌परांत ज्वाईनिंग ली जावेगी।

5/ पद हेतु आवेदन प्रक्रिया–

1. विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ही आवेदन स्वीकार किये जायेगें।
2. <u>किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की शैक्षणिक योग्यता, स्वरूप, अर्हता, अपात्रता की शर्ते आदि पृथक–पृथक होने से किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में मय दस्तावेज के पृथक–पृथक मान्य होंगे। यदि आवेदक द्वारा पद हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नही किया जाता है तो आवेदन निरस्त किया जायेगा जिसके संबंध में कोई वाद,दावा/आपत्ति मान्य नही होगी।</u>
3. यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले हेतु आवेदन दिया जाता है तो उसके लिए पृथक–पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

4. यदि आवेदक द्वारा एक ही आवेदन फार्म में पृथक–पृथक जिले हेतु आवेदन किया जाता है तो तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा जिसके संबंध में कोई वाद,दावा/आपत्ति मान्य नही होगी।
5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए तथा समस्त दस्तावेज विधिवत संलग्न होना चाहिये। आवेदन पूर्ण/विधिवत नही होने पर निरस्त कर दिया जावेगा।
6. आवेदकों को साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।
7. विज्ञप्त पदों की समस्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अध्याधीन होगी।
8. आवेदन आयुक्त, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, विजयाराज 10 फरवरी 2024 तक जमा अथवा पंजीकृत डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट से जमा/प्रेषित किये जा सकते है। ई–मेल अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नही किया जायेगा।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अमिताभ अवस्थी)
संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

Only JJB

केवल किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र

जिले का नाम, जिसके लिये आवेदन किया गया हैः– ....

पासपोर्ट आकार का कलर फोटो चिपकाएं

1. पूरा नाम– ....

2. पिता / पति का नाम–...

3. जन्म तिथि(अंको एवं शब्दों में) –...(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

4. वर्तमान व्यवसाय ....

5. यदि व्यवसायरत कृतिक है तो वर्तमान में कहाँ कार्य कर रहे है।(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

....

6. घर का पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में –..

....पिन कोड....................

7. सम्पर्क नम्बर .... मोबाइल नम्बर ....ई–मेल ....

8. क्या आप किशोर न्याय बोर्ड / बाल कल्याण समिति के सदस्य है / रहे है। यदि हां तो विवरण

क्र	बोर्ड / समिति का नाम	पद	जिला	कार्यकाल की अवधि
1				
2				
3				
4				

9. (अ) शैक्षणिक योग्यता का विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)–

क्र	शैक्षणिक योग्यता	उत्तीर्ण का वर्ष	विषय	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1	12वी.			
2	स्नातक			
3	स्नातकोत्तर			
4	एम फिल / पी.एच.डी			
5	अन्य शैक्षणिक योग्यता			
6	कम्पयूटर का ज्ञान(डिग्री यदि हो तो)			

निरंतर......

10. बालकों के कल्याण के क्षेत्र मे कार्य का न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव(समस्त संस्थाओं के प्रमाण पत्र/पत्र संलग्न करें।)–

क्र	क्षेत्र/संस्था/स्वतंत्र कार्य का नाम/विषय	अनुभव (दिनांक से दिनांक तक	अनुभव के कुल वर्ष	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1				
2				
3				
4				

11. यदि व्यवसायरत कृतिक है तो विवरण–

क्र	किस क्षेत्र में व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) है	वर्तमान में कहाँ कार्य कर रहे है।	अनुभव के कुल वर्ष	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1				
2				
3				
4				

12. पुलिस सत्यापन/आवेदक के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज है अथवा पूर्व में दोषसिद्ध हो तो उसका विवरण –

क्र	दर्ज प्रकरण	दोषसिद्ध/प्रचलित/दोषमुक्त
1		
2		
3		

नोट : कोई प्रकरण दर्ज न होने पर निरंक अंकित करे तथा यथासंभव पुलिस सत्यापन रिपोर्ट संलग्न करें।

13. किसी एक पर टिक (✓)करें –मेरा आवेदन एवं संलग्न दस्तावेज आर.टी.आई में दिये जाने हेतु मैं सहमत ( )/असहमत( ) हूँ।

14. कृपया निम्न प्रमाण पत्र स्वंय प्रमाणित कर संलग्न करें।

a. जन्म तिथि प्रमाण पत्र (पासपोर्ट/हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री मार्कशीट/जन्म प्रमाण पत्र)।
b. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
c. बालकों के क्षेत्र मे कार्य के समस्त अनुभव प्रमाण पत्र/पत्र।
d डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) होने का प्रमाण पत्र।
e निवास का प्रमाण। (आधार कार्ड/वोटर आईडी/पासपोर्ट/मूल निवासी प्रमाण पत्र)

निरंतर......

f गृह/निवासरत जिले का पुलिस सत्यापन अथवा पुलिस को सत्यापन हेतु दिया आवेदन।

g आवश्यक शपथपत्र नोटरी पर जिसमे निम्नलिखित प्रमाणिकरण आवश्यक हैः–

- मैं दिवालिया घोषित नही किया गया हूं।
- बोर्ड के सदस्य के रूप में चयनित होने पर मैं अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी राजनैतिक दल का पदाधिकारी नही रहूंगा।
- बोर्ड के सदस्य के रूप में चयनित होने पर अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा नही रहूंगा।
- मुझे किसी भी अपराधिक प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्व नही ठहराया गया है।
- मैं जिले में बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग नही हूं।
- मैं किसी ऐसे संगठन से नही जुड़ा हूं जिसे विदेश से सहायता प्राप्त होती है।
- यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है तो मैं दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा।
- **मेरे द्वारा पद के आवेदन के संबंध में दिये गये निर्देशों का भंलिभांति अध्ययन कर लिया है। यदि निर्देश में निर्धारित आवेदन प्रक्रिया का पालन नही किये जाने के कारण मेरा आवेदन अमान्य होता है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तदरायी रहूंगा/रहूंगी ।**
- मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सम्पूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र में संलग्न किये गये सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से सत्य और प्रमाणित है तथा मेरे द्वारा आवेदन में कोई तथ्य छुपाये नही गये है। आवेदन पत्र में दी गई किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी एवं छुपाये गये तथ्यों के लिये मै स्वयं उत्तरदायी रहॅूगा/रहॅूगी जिसके लिए मेरे उपर की गई कोई भी वैधानिक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर)